Witness No. .....01..... For.....बचाव साक्षी..... Deposition taken the ... 02.04.2025..... Day of...बुधवार..... Witness's apparent age...55 वर्ष..... States on affirmation.....शपथपूर्वक..... My name is.....छन्नू लाल साहू..... son of...श्री देवनाथ साहू..... occupation....कृषि..... address.....ग्राम चोरभट्ठी, पोस्ट कोरासी, थाना खरोरा, जिला - रायपुर छ.ग. .....

साक्ष्य प्रारंभ समय 12:30 pm बजे–

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता वास्ते आरोपी

1. मैं परिवादी मोहन लाल देवांगन को वर्ष 2016 से जानता हूं । वर्ष 2016 में मुझे अपने घरेलू कार्य से रकम की आवश्यकता पड़ी थी, तब मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया कि, मुझे रकम की आवश्यकता है । मैं उक्त बातें ग्राम मालीडीह निवासी अपने रिश्तेदार पुरूषोत्तम साहू को बताया था । मुझे पुरूषोत्तम साहू ने बताया कि, हमारे गांव में उधार देने वाले नहीं मिलेंगे, किंतु ग्राम भानसोज में चरण किराना स्टोर्स वाले उधार राशि प्रदान करते हैं । तब मैं अपने उक्त रिश्तेदार पुरूषोत्तम साहू के साथ चरण किराना स्टोर्स ग्राम भानसोज आया था । मैं पुरूषोत्तम के साथ चरण किराना स्टोर्स भानसोज गया जहां मेरी मुलाकात भरत लाल देवांगन से हुई थी, यह बात चौथा माह वर्ष 2016 की है । मैंने उधार रकम की जरूरत को सेठ भरत लाल देवांगन को बताया, तब भरत लाल ने मुझे कहा कि, हम लोग उधार तो देते हैं लेकिन उधार राशि पर तीन प्रतिशत मासिक ब्याज भी लेते हैं तथा उधार राशि की सुरक्षा हेतु ऋण लेने वाले के बैंक खाते का चेक भी लेते हैं ।

2. दो तीन दिन पश्चात् दिनांक 20.04.2016 को मैं पुनः चरण किराना स्टोर्स अपना बैंक खाते का कोरा चेक लेकन गया था तब मुझे भरत लाल देवांगन ने 1,30,000/– रूपये प्रदान किया था। मेरे द्वारा ऋण सुरक्षा हेतु दिया गया चेक का क्रमांक 891945 था, जिसे मैंने भरत लाल देवांगन को दिया था । मैं 1,30,000/– रूपये प्राप्त किया, उसके पश्चात् साहूकार भरतलाल देवांगन ने अपने लाल रंग के बहीखाते में मेरे सामने ही 1,30,000/– रूपये मेरा नाम, गांव और तारीख इंद्राज किया, जिसे मैं न्यायालय में लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो मूल **प्रदर्श डी–1** है, छायाप्रति **प्रदर्श डी–1 सी** । पैसा लेकर मैं अपने घर चला गया और जिसके प्रति मेरी राशि की देनदारी थी उन्हें प्रदान कर दिया । लगभग एक वर्ष पश्चात् मैं ऋण भुगतान किये जाने के लिए पुनः चरण किराना स्टोर्स भानसोज आया था ।

3. मैंने अपने द्वारा ली गई राशि 1,30,000/– रूपये का तीन प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से सेठ भरत लाल देवांगन से हिसाब लगवाया, उस समय लगभग 12 माह का समय व्यतीत हो गया था, इसलिए 1,30,000/– रूपये पर तीन प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से 46,800/– रूपये ब्याज का राशि होना बताया । भरत लाल देवांगन ने मुझे बताया कि, मूल और ब्याज मिलाकर 1,76,800/– रूपये होना बताया था, जिसका हिसाब किताब भरत लाल देवांगन ने

किया था । मैं उस दिन कम पैसा लेकर आया था इसलिए मैंने 1,01,800/– रूपये भरत लाल देवांगन के पास जमा किया था । मेरे द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने पश्चात् भरत लाल देवांगन ने हिसाब बनाकर लिखापढी किया था, जो मूल **प्रदर्श डी–2** है एवं छायाप्रति **प्रदर्श डी–2 सी**।

4. मेरे द्वारा 1,01,800/– रूपये जमा करने के पश्चात् ऋण राशि 75,000/– रूपये बच गया, जिसके लिए मैंने भरत लाल देवांगन से कहा कि, सेठ मैं 75,000/– पर ब्याज की रकम नहीं दे पाउंगा, मुझे माफ करना । इस पर भरत लाल देवांगन ने मुझे कहा कि, ठीक है आप 75,000/– रूपये जल्दी से जमा कर देना कहकर हिदायत दिया था, जिसे मैंने कुछ माह बाद आकर 75,000/– रूपये जमा कर दिया था, उस 75,000/– रूपये को भी भरत लाल देवांगन ने अपने लाल रंग की डायरी में जमा कर लिया था । मैं अपने द्वारा संपूर्ण ऋण की राशि का भुगतान करने पश्चात् अपने द्वारा ऋण सुरक्षा हेतु दिये गये चेक क्रमांक 891945 को भरत लाल देवांगन से वापस मांग किया था, तब भरत लाल देवांगन ने अपने चरण किराना स्टोर्स में उक्त चेक को काफी ढूंढा किंतु चेक नहीं मिल पाया । चेक नहीं तब भरत लाल देवांगन ने मुझे आश्वासन दिया कि, चिंता मत करो मैं चेक को ढूंढकर रखूंगा, कभी भी आते जाते उक्त चेक मुझसे ले लेना ।

5. बाद में भरत लाल देवांगन ने मुझे बताया कि, चेक नहीं मिला और बाद में बताया कि, चेक क्रमांक 891945 को मेरा बड़ा भाई मोहन लाल देवांगन अपने पास रखा है और मुझे नहीं दे रहा है। बाद में मोहन लाल देवांगन ने उक्त वर्णित चेक पर कूटरचना करके 2,50,000/– रूपये का चेक का प्रकरण मेरे विरूद्ध लगा दिया । मोहन लाल देवांगन द्वारा चेक का प्रकरण लगाये जाने की जानकारी मैंने भरत लाल देवांगन को दिया था, तब भरत लाल देवांगन ने कहा था कि, आपने मुझे मूल ब्याज संपूर्ण राशि प्रदान कर दिया है, आप चिंता न करो मैं आपकी ओर से गवाही दे दूंगा ।

टीपः– मिलान उपरांत मूल दस्तावेज प्रदर्श डी–1, 2 अभियुक्त को वापस किया गया ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा डॉ. देवा देवांगन अधिवक्ता वास्ते परिवादी</u>

टीपः– परिवादी पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा मूल अधिवक्ता के अन्य न्यायालय में साक्ष्य कराया जाना व्यक्त करते हुए समय दिये जाने का निवेदन किया । अतः प्रतिपरीक्षण चायकाल तक स्थगित किया गया ।

<u>प्रतिपरीक्षण स्थगित ।</u>

<u>साक्ष्य स्थगित समय 12:55 बजे–</u>

<u>वाचित/सत्य स्वीकृत</u> <u>मेरे निर्देश पर टंकित किया</u>

सहीं/–
(सुरेश टोप्पो)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी
रायपुर छ.ग.

सहीं/–
(सुरेश टोप्पो)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर.....

नोटः– चायकाल पश्चात् बचाव साक्षी क्रमांक–1 छन्नू लाल साहू का पुनः शपथ पर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।
साक्ष्य प्रारंभ समय 03:10 pm बजे–

प्रतिपरीक्षण द्वारा डॉ. देवा देवांगन वास्ते परिवादी

06. यह कहना सहीं है कि, मैं इस प्रकरण में स्वयं के गवाही के लिए धारा 315 द.प्र.सं. का कोई आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं लगाया हूं । यह कहना सहीं है कि, मैं एक समझदार व्यक्ति हूं । मैं इस प्रकरण मे सन् 2018 से उपस्थित हो रहा हूं । यह कहना सहीं है कि, मैं किसी भी व्यक्ति को ब्लैंक चेक नहीं देता हूं । यह कहना सहीं है कि, प्रदर्श डी–1, 2 की लाल डायरी परिवादी की नहीं है, स्वतः कहा कि, डायरी चरण किराना स्टोर्स की है ।

07. यह कहना सहीं है कि, मैंने धारा 243(2)द.प्र.सं. का एक आवेदन दिनांक 03.02.2024 को प्रदर्श डी–1 एवं 2 के दस्तावेज (डायरी सहित) पेश करने हेतु आवेदन लगाया था । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि, दिनांक 03.02.2024 के आवेदन पर क्या आदेश हुआ, इस पर साक्षी का कहना है कि, मुझे नही मालूम । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि, धारा 243(2)द.प्र.सं. का एक आवेदन दिनांक 03.02.2024 को माननीय न्यायालय ने दिनांक 11.09.2024 को निरस्त किया है ।

08. यह कहना सहीं है कि, मैं सन् 2018 से इस प्रकरण में न्यायालय में उपस्थित हो रहा हूं । यह कहना सहीं है कि, सन् 2018 से आज दिनांक तक मैंने इस प्रकरण में संलग्न चेक प्रदर्श पी–1 के संदर्भ में किसी भी थाने में परिवादी के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं किया हूं । यह कहना सहीं है कि, मैंने चरण किराना स्टोर्स के प्रोपराईटर के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया है।

यह कहना सहीं है कि, मैंने भरत लाल देवांगन के साहूकार होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया है ।

09. यह कहना गलत है कि, मैंने मोहन लाल देवांगन से जो उधार लिया था, उसमें 1,30,000/– रूपये और 50,000/– रूपये परिवादी के बैंक अकाउंट के माध्यम से प्राप्त किया था । मुझे आज याद नहीं है कि, दिनांक 27.05.2016 को परिवादी के बैंक द्वारा मुझे 1,30,000/– रूपये अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त हुए थे या नहीं। यह कहना सहीं है कि, प्रदर्श पी–1 में राशि 2,50,000/– रूपये का उल्लेख है, स्वतः कहा कि, उसे मोहन लाल देवांगन ने लिखा है । यह कहना सहीं है कि, मैं मोहन लाल देवांगन ने राशि 2,50,000/– रूपये प्रदर्श पी–1 में कहां लिखा, किसके सामने लिखा, किस माह सन् में लिखा मैं नहीं बता सकता ।

10. यह कहना सहीं है कि, प्रदर्श पी–1 का चेक मेरा है । यह कहना सहीं है कि, मैंने प्रदर्श पी–1 के चेक में परिवादी द्वारा 2,50,000/– रूपये लिखे जाने की कोई भी शिकायत कहीं भी नहीं किया है । यह कहना सहीं है कि, मैंने प्रदर्श पी–1 के संबंध में परिवादी को आज दिनांक तक कोई राशि नहीं दिया है । यह कहना सही है कि, मैंने नोटिस प्रदर्श पी–4 प्राप्त होने के बाद उसका कोई जवाब नहीं दिया है । यह कहना सहीं है कि, प्रदर्श् पी–1 का चेक बैंक से अनादरित हुआ है । यह कहना सहीं है कि, भरत लाल देवांगन और मेरे मध्य उधार के संबंध में कोई लिखापढी नहीं हुई है, स्वतः कहा कि, डायरी में भरत लाल देवांगन ने लिखा है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि, भरत लाल देवांगन और परिवादी के मध्य बातचीत है या नहीं । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि, भरत लाल देवांगन और मोहन लाल देवांगन के मध्य पैत्रिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर न्यायालय में प्रकरण लंबित है या नहीं।

11. यह कहना सहीं है कि, भरत लाल देवांगन ने मोहन लाल देवांगन के पास चेक होने की बात कब, किस दिनांक को, किस माह, किस सन्, कहां पर और किसके सामने बताया इसका उल्लेख मेरे मुख्यपरीक्षण में नहीं है । यह कहना गलत है कि, मुझे चेक की राशि 2,50,000/– देना न पड़े इसलिए मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष परिवादी द्वारा वर्णित चेक पर कूट रचना करने की बात असत्य बताया है । यह कहना सहीं है कि, मेरे और परिवादी के मध्य 2,50,000/– रूपये उधार की राशि के लेनदेन के संबंध में एक अनुबंध पत्र बना था, स्वतः कहा कि, वह अनुबंध अलग है । यह कहना सहीं है कि, मैंने उस अनुबंध पत्र को इस प्रकरण में पेश नहीं किया है, स्वतः कहा कि, वह अलग अनुबंध है । यह कहना गलत है कि, मैं अपने आप को बचाने की नीयत से न्यायालय में आज असत्य बयान दिया हूं ।

प्रतिपरीक्षण समाप्त ।

साक्ष्य समाप्ति समय 03:45 बजे–

वाचित/सत्य स्वीकृत

सहीं/–
(सुरेश टोप्पो)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी
रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित किया

सहीं/–
(सुरेश टोप्पो)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर.....